


मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजसव, भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के रांग/कैम्प कोर्ट)
पीठसीन अधिकारी :- शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

उन्वान
सुनील कुमारा सा० बनाम 1. जोगेन्द्र सिंह सा० मानसिंह
जोगेन्द्र सिंह मादव भागल 2. अनीलकुमारा सा० जोगेन्द्र सिंह
दावा बाबत :- 88 RT Act 3- सुनीता 4- अनीता
मुकदमा नम्बर :- 192/2021 5. भागवती सिंह जोगेन्द्र सिंह मादव
सा० भागल
निर्णय दिनांक :- 08-11-2021

वादी की ओर से वकील सुंशीराम जोषानी की व प्रतिवादीगण की ओर से
वकील संजय की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 08-11-2021 को
मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश
दिया जाता है कि चक 1 MSR के खाता सं० 22/93 की 13.662
- चक 1 BHD के खाता सं० 19/128 की 1.265, चक 1 BHD
के खाता सं० 56/127 की 6.578, चक 2 BHD के खाता
सं० 29/104 की 7.754, चक 1 BHP के खाता सं० 276/36
की 0.759, चक 2 MSR के खाता सं० 38/71 की 1.771,
चक 2 MSR के खाता सं० 133/104 की 4.301, चक 6 बरानी
के खाता सं० 188/52 की 0.506, चक 7 बरानी के खाता
सं० 145/9 की 1.518 हिस्से में प्रतिवादी जोगेन्द्र सिंह के नाम
उर्त स्वतंत्रता में प्रतिवादी जोगेन्द्र सिंह सा० मानसिंह की
वज्रात वादी सुनीलकुमारा सा० जोगेन्द्र सिंह, प्रतिवादी जोगेन्द्र सिंह
सा० मानसिंह, अनीलकुमारा सा० जोगेन्द्र सिंह मादव सा० भागल
सं. हि. व. के अनुसार स्वतंत्रता काश्तकार है, चक 7 बरानी
के खाता सं० 145/9 में गाकावल्डूम का नाम कालमज्ज इट 448 हिस्सा
वादी सुनीलकुमारा प्रतिवादी जोगेन्द्र सिंह, अनीलकुमारा काश्तकार के अनुसार स्वतंत्रता
काश्तकार उर्त किया जोके प्रतिवादी सुनीता, अनीता, भागवती के द्वारा
भागवती के हिस्सा पर विपत्तानुसार स्वतंत्रता इष्टी पेश करने पर
खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। कौटुंबिक अर्थात् ही बैंक आडि के रहन हो
लो रहन उम्दर होने पर पालन कज्राई वाके
यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


शकुन्तला चौधरी
(आर० ए० एस०)
उपखण्ड अधिकारी भादरा
हनुमागढ़